

प्रेषक,

उपनिदेशक,
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,
अलीगंज लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उ०प्र०।

2. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उ०प्र०।

पत्रांक: 2452/रा०व्या०प्रशि०परि०/क०सेल/2020

लखनऊ, दिनांक: 29 फरवरी, 2020

विषय: एन०सी०वी०टी०/एस०सी०वी०टी० परीक्षाओं में प्रशिक्षार्थी द्वारा OMR गलत भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया परिषद के पत्रांक: 1523/ रा०व्या०प्रशि०परि०/ई०एक्स० 004/एस०सी०वी०टी० सेमेस्टर/ परीक्षा-2019, दिनांक: 23.12.2019 और पत्रांक: 2354/ रा०व्या०प्रशि०परि०/ई०एक्स० 004/ एस०सी० वी०टी० सेमेस्टर/ परीक्षा नवम्बर-2019, दिनांक: 25.02.2020 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि आपके संस्थान के प्रशिक्षार्थियों द्वारा ओ०एम०आर० भरने में त्रुटि की गई।

एन०सी०वी०टी०/एस०सी०वी०टी० परीक्षाफल से यह ज्ञात हुआ कि लगभग 50% प्रशिक्षार्थियों द्वारा उ०पु०/उत्तर पत्रक (ओ०एम०आर०) भरने में निम्न त्रुटियों की जाती है जैसे:-


- 1- अनुक्रमांक त्रुटिपूर्ण अंकन करना।
- 2- पेपर त्रुटिपूर्ण अंकन करना।
- 3- सेमेस्टर त्रुटिपूर्ण अंकन करना।
- 4- दिनांक त्रुटिपूर्ण अंकन करना।
- 5- ट्रेड कोड त्रुटिपूर्ण अंकन करना।

इन गलतियों के कारण प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्धित पेपर में शून्य अंक आते हैं और परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थानों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/कर्मचारी एवं प्रशिक्षार्थी परीक्षाफल में सुधार कराने के लिये बार-बार परिषद में सम्पर्क करते हैं परन्तु परीक्षण करने पर उपरोक्त त्रुटियाँ ही परिलक्षित होती हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है OMR की पुनः जाँच की प्रक्रिया न होने के कारण परीक्षाफल में सुधार सम्भव नहीं होता और परिषद व विभाग की छवि धूमिल होती है जबकि प्रत्येक परीक्षा से पूर्व डी०जी०टी० भारत सरकार एवं परिषद द्वारा OMR की प्रति इस आशय से भेजी जाती है कि संस्थान द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को OMR विवरण दर्ज किये जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाय।

एन०सी०वी०टी०/एस०सी०वी०टी० परीक्षा में एक दिनांक की एक पाली में एक ही सेमेस्टर का एक ही पेपर होता है केवल ट्रेड अलग-अलग होती है फिर भी प्रशिक्षार्थियों द्वारा OMR विवरण में उपरोक्त गलतियाँ की जाती हैं जिससे प्रतीत होता है कि Room Invigilator द्वारा प्रशिक्षार्थियों द्वारा भरी गई OMR को भलीभाँति चेक/जाँच नहीं किया जाता मात्र हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं साथ ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जो कर्मचारी केन्द्र पर जाते हैं उनके द्वारा भी केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक/कक्ष निरीक्षक को अवगत नहीं कराया जाता और न ही व्यवसाय अनुदेशक द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षार्थी को OMR भरने के बारे में बताया जाता है।

अतः परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आगामी एन0सी0वी0टी0 परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षार्थियों को OMR भरने का प्रशिक्षण अवश्य दिलाया जाये तथा स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाये एवं सेन्टर की मीटिंग करके इस सम्बन्ध में केन्द्र अधीक्षक को अवगत कराये। इसके उपरान्त भी अगर OMR विवरण में त्रुटियां पायी जाती हैं तो केन्द्र में ड्यूटी पर तैनात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी की लापरवाही को देखते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, साथ ही केन्द्र व्यय हेतु परिषद में आये सीटिंग प्लान को देख कर केन्द्र व्यय से कटौती की कार्यवाही पर भी विचार किया जायेगा।


भवदीय,


(सी0पी0 अग्रवाल)
उपनिदेशक

पत्रांक: /रा0व्या0प्रशि0परि0/क0सेल/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- वैयक्तिक सहायक, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।
- 2- वैयक्तिक सहायक, अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0।
- 3- अपर निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि अपने स्तर से सम्बन्धित को आदेश/निर्देशित करने की कृपा करें।
- 4- विशेष कार्याधिकारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0।
- 5- संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0।
- 6- समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0) को इस अनुरोध के साथ कि इस सम्बन्ध में सभी राजकीय/निजी संस्थानों की एक बैठक कर सम्बन्धित को निर्देश जारी करने का कष्ट करें, साथ ही अपने मण्डल में एक अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराये ताकि परीक्षाफल में विसंगतियां न हो।
- 7- सहायक लेखाधिकारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0
- 8- शिकायत प्रकोष्ठ/नोटिस बोर्ड हेतु।


(सी0पी0 अग्रवाल)
उपनिदेशक